कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः

9132 /12-1

दिनांक, पिथौरागढ,

25 अक्टूबर, 2024।

सेवा में,

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय:--

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य हेतु 0.945 हे0 वन भूमि वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/77/2022/एफ0सी0/1222 दिनांक 15.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण आख्या संलग्नकों सदित आतुष्ठाक कार्यवादी देत साटर गेषित हैं.

প্রপ	नका सहित आवश्यक कायवाहा हतु सादर प्रीषेत हैं–	
SN.	आपत्ति	उत्तर
1	On the perusal of the KML file, it is observed that the proposed road can start from the existing Encholi-Badabe Motor road can end at village "Khainalgaon" thus providing connectivity to village shown in KML. In this way, the forst area being proposed up to the existing road of Mard-Marsholi Motor road would not be required and unnecessary felling of trees shall be avoided. Hence, the state Govt. is requested to submit it comments in this regard.	बिन्दु सं0 01 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 'पूर्व स्वीकृत माड़ मर्सोली मोटर मार्ग (लं0 2.00 किमी0) की वन भूमि हस्तान्तरण कर विधिवत स्वीकृति शासनादेश सं0 530(1)/—4—15/1(83)/2015, दिनांक 28.12.2015 द्वारा 0.81 हे0 वनभूमि की प्राप्त है (संलग्न) प्रस्तावित मोटर मार्ग को इसके अंतिम बिन्दु से आगे बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 895/111(2)/18—44 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 22.02.2019 द्वारा माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगटृा तक विस्तार कार्य (लं0 5.00 किमी0) के नाम से प्राप्त है। पूर्व निर्मित 2.00 किमी0 भाग जो कि कटिंग कार्य तक पूर्ण हो चूका है।'
2.	The muck disposal plan is proposed over forest land	Justification report regarding muck disposal plan
	however lot of private land is seen around the proposed	proposed over forest land authenticate by DFO has
(e)	area. Therefore, the State Govt. is requested to submit	been uploaded in Form A, Part-I & part-2.
	its clear justification for nor selecting the non-forest	Previous muck disposal plan already uploaded in
	land for muck dumping. The justification shall be duly authenticate by concerned DFO and a detailed Muck	part-1.
	Disposal Plan shall also be submitted.	*
3.	NPV is calculated at older rates. State Govt. is	New NPV calculation sheet has been uploaded in
	requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new rate.	Form A, Part I & part-2.
4.	State Govt. is requested to submit the plantation	The plantation scheme for 1900 plants by way of
	scheme for 1900 plants by way of CA along with the	CA along with the details, map and site suitability
, .	details, map and site suitability certificate of the site	certificate of the site selected for planting the trees
	selected for planting the tress.	is attached & uploaded in Form A part 1 & part 2.
उपरोक्त कुम में सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत सादर पेषित।		

गराक्त कम म सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय.

(आशुंतोष सिंह) प्रभागीय वनाधिकारी, ,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।